REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 9 | JUNE - 2023

आपातकाल और हिंदी पत्रकारिता की भूमिका

डॉ. आशीष रामबचन दुबे
सहायक प्रोफेसर, भारतीय जन संचार संस्थान, पश्चिम क्षेत्रीय परिसर, अमरावती, महाराष्ट्र.

सारांश

भारत में पत्रकारिता के इतिहास में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए. कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए. इन्हें बड़े गर्व के साथ ऐतिहासिक करार दिया गया है. साथ ही पत्रकारिता की नवागत पीढ़ियों को इनके बारे में जानकारी दी जाती है. पत्रकारिता के इतिहास में 25 जून 1975 में घोषित आपातकाल महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसकी चर्चाएं तो होती है, किंतु उसकी जानकारी काफी कम लोगों को है. केवल मौजूदा पीढ़ी ही नहीं बल्कि वे भी जिनका जन्म 60 से 70 के दशक में हुआ है. इस आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी. इस आपातकाल की घोषणा के पूर्व भी भारत में आपातकाल लागू किया जा चुका है. लेकिन यह आपातकाल को ऐतिहासिक माना जाता है. यह ऐसा आपातकाल है जिसका न सिर्फ पत्रकारिता पर बल्कि राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थितियों पर भी दूरगामी परिणाम पड़ा. बावजूद इसके इस महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कालखंड और इस दौरान हुए घटनाक्रम से देश की अधिकांश जनसंख्या अनभिज्ञ है. हालांकि , देश के विविध विश्वविद्यालय व शोधार्थियों ने आपातकाल व आपातकाल से जुड़े विषय व प्रभावित लोगों पर शोध किया है. शोध अध्ययन, पुस्तक, लेख और समाचारों में चुनिंदा अखबारों की भूमिका खासकर अंग्रेजी अखबारों का जिक्र मिलता है. हिंदी अखबार और पत्रकारिता की भूमिका का अध्ययन करना भी आवश्यक है.

प्रस्तावना

प्रतिवर्ष 25 जून आते ही अखबार व न्यूज चैनलों पर वर्ष 1975 में लागू आपातकाल की चर्चाएं तेज हो जाती है. पिछले कुछ चुनाव व राजनीतिक बहस में कई बार इसी आपातकाल का जिक्र होता है. जबकि इस आपातकाल के पूर्व भी भारत में आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है. देश में पहली बार भारत व चीन युद्ध के समय अर्थात 26 अक्तूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक आपातकाल घोषित किया गया था. उसके बाद दूसरी मर्तबा 3 दिसंबर 1971 को आपातकाल की घोषणा की गई थी. किंतु 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल कुछ मामलों में अन्य से अलग था. इस आपातकाल को तत्कालीन सरकार ने देश में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देते हुए इसे लागू किया था. इस आपातकाल के दौरान प्रेस की आजादी पर ऐसे हमले किए गए जिनकी मिसाल किसी भी आजाद देश के इतिहास में नहीं मिलती. चूंकि 44वें संवधिान संशोधन अधिनियम सन 1978 से पहले की स्थिति यह थी कि किसी भी तरह के आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 358 के आधार पर अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों का प्रवर्तन स्वतः ही निलंबित हो जाता था. जिससे वर्ष 1975 के आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 (1) क में उपलब्ध अभिव्यक्ति की आजादी का प्रवर्तन स्थगित हो गया. उसके बाद राष्ट्रपति

अनुच्छेद 359 में उस वक्त उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 जून 1975 की एक उद्घोषणा जारी करके अनुच्छेद 14, 21 तथा 22 में उपलब्ध मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार निलंबित कर दिया. आपातकाल के घोषणा के एक दिन बाद 26 जून 1975 को मीडिया पर पूर्व अवरोध (प्री-सेंसरशिप) लगा दिया गया. अंग्रेजी के साथ ही कई भाषाई अखबारों व उससे जुड़े पत्रकारों ने कड़ा विरोध किया. हिंदी के अखबार व पत्रकारों ने प्रखर रुख अपनाया था.

शोध उद्देश्य

वर्ष 1975 को घोषित आपातकाल की उतनी ही जानकारी नवागत पीढ़ी को है जितना अखबारों में छपता है या पुस्तकों के माध्यम से बताया गया है. युवा पत्रकारों में भी आपातकाल के बारें में कम जानकारी नजर आती है. कई हिंदी समाचार पत्रों के युवा पत्रकारों में भी जानकारी कम नजर आई कि देश में आपातकाल क्यों लगा था और इस दौरान हिंदी पत्रकारिता व पत्रकारों की क्या भूमिका रही. इसे देखते हुए यह शोध अध्ययन करने का निर्णय लिया गया. इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

1. आपतकाल के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा लागू की गई सेंसरशिप के बीच हिंदी के अखबार व पत्रकारों ने देश और समाज के प्रति अपनी भूमिका को कैसे निभाई,
2. केंद्र सरकार की तमाम कड़ाई के बावजूद उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन कैसे किया.
3. समाचार पत्र और पत्रकारों ने जनमानस में वास्तविकता को तथ्यों को कैसे प्रस्तुत किया.
4. समाचार पत्र और पत्रकारों ने पत्रकारिता के मूल उद्देश्यों की पूर्ति की या नहीं.
5. पत्रकारिता पाठ्यक्रम व पेशे से जुड़े मीडियाकर्मियों के साथ ही आमजन को हिंदी पत्रकारिता व पत्रकारों की भूमिका से अवगत कराना है.

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्ष 1975 में प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रमुख दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका और उनके योगदान को ही आधार बनाया गया है. ताकि युवा पीढ़ी और पत्रकार के साथ ही आमजन आपातकाल के दौरान हिंदी पत्रकारिता व पत्रकारों की भूमिका को जान सके. चूंकि यह ऐतिहासिक शोध है, इसीलिए मुख्य रुप से इसमें द्वितीयक स्त्रोंतो का उपयोग किया गया है.

आपातकाल की पृष्ठभूमि

25 जून 1975 को घोषित आपातकाल की पृष्ठभूमि को लेकर कहा जाता है कि मुख्य पृष्ठभूमि और कारण निम्नलिखित है:

1. 12 जून 1975 को गुजरात में हुए चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को मिली हार है.
2. 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के खिलाफ राजनारायण सिंह की ओर से दायर की गई याचिका पर फैसला भी आया. न्यायालय ने अपने फैसले में श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया. उन पर छह साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगाया. याचिकाकर्ता सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था. (संदर्भ: इंदिरा गांधी का भारतीय राजनीति में योगदान, लेखक डॉ. धीरेंद्र कुमार तिवारी, दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स, पृष्ठ 62)
3. जयप्रकाश नारायण और उनके द्वारा सरकार व सरकार की नीतियों तथा तत्कालीन समस्याओं को लेकर चलाए गए आंदोलन.
4. आपातकाल की पृष्ठभूमि व कारणों में वर्ष 1971 में घोषित किया गया आपातकाल. सन 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण के दौरान देश में दूसरी मर्तबा आपातकाल की घोषणा की गई. यह आपातकाल 27 मार्च 1977 तक चला.

5. विपक्ष का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ मुखर होना और दबाव बनाना.

प्रेस पर सेंसरशिप

25 जून 1975 को लागू आपातकाल को देश की तथाकथित आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगाया गया था. आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 (1) (क) में उपलब्ध अभिव्यक्ति की आजादी का प्रवर्तन स्थगित हो गया. उसके बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 में उस वक्त उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 जून 1975 की एक उद्घोषणा जारी करके अनुच्छेद 14, 21 तथा 22 में उपलब्ध मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार निलंबित कर दिया. आपातकाल के घोषणा के एक दिन बाद 26 जून 1975 को मीडिया पर पूर्व अवरोध (प्री-सेंसरशिप) लगा दिया गया. इन कार्यवाहियों के संबंध में तत्कालीन सरकार का तर्क था कि चूंकि अखबार आम जनता को कानून का उल्लंघन करने के लिए उकसा रहे थे इसीलिए यह कदम उठाना जरूरी था. सरकार केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं थी. प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसंबर 1975 को 'प्रिवेंशन आफ आब्जेक्शनेबल पब्लिकेशन्स आर्डिनेंस', 'पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स (प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन्स) एक्ट रिपील आर्डिनेंस' तथा 'प्रेस काउंसिल एक्ट रिपील आर्डिनेंस' जारी किया.

श्रीमती इंदिरा गांधी का तर्क

वर्ष 1978 ग्रीष्म ऋतु में इंदिरा गांधी ने एक विदेशी लेखक से भेंट के दौरान बातचीत हुई थी. इस बैठक में विदेशी लेखक ने इंदिरा गांधी से आपातकाल, सत्ता में जनता शासन तथा इसके बाद स्थितियों की संभावनाओं पर खूब प्रकाश डाला था. एक सवाल यह था कि क्या यह सच है कि इमरजेंसी लागू करने से पहले आपने (इंदिरा गांधी) ने कैबिनेट में कोई विचार विमर्श नहीं किया था?. इसके जवाब में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि 'हां, यह सही है. मैंने कैबिनेट से कोई सलाह नहीं की थी, परंतु तत्काल पश्चात ही कैबिनेट से सहमति प्राप्त कर ली थी. यह कोई पहला अवसर नहीं था कि कैबिनेट से कोई सलाह नहीं ली जाती. सन 1966 में जब मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, तब भी कैबिनेट से पूर्व सहमति नहीं ली गई थी. प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक भी नहीं है कि वह सब कुछ कैबिनेट के सम्मुख रखे. इस केस में हमने गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक समझा था.' (संदर्भ: इंदिरा गांधी: व्यक्ति और विचार, लेखक डॉ. लालबहादुर सिंह चैहान, सुयोग प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 92). 26 जून की सुबह रोडियो पर श्रीमती गांधी ने देश के नाम संदेश दिया. उन्होंने लोगों से कहा कि देश में सारी स्थिति सामान्य है. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि विरोधी दलों के क्रांतिकारी रवैये से पूरे देश में आंतरिक उपद्रव पैदा हो गया है ऐसा आपातस्थिति की घोषणा उन खतरों से देश की शांति बचाने के लिए की गई है. उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा 'विरोधी दल जनतंत्र की रक्षा के नाम जनतंत्र का गला घोंटने की कोशिश कर रहे है और कोई भी सरकार ऐसी स्थिति में मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती. कतिपय लोग हमारी फौज और पुलिस को विद्रोह के लिए उकसाने लगे थे. मेरे खिलाफ सभी तरह के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते रहे हैं. भारत की जनता मुझे बचपन से ही जानती है. मुट्ठी भर लोग जनता के विशाल वर्ग के अधिकारों पर छापा मारने की कोशिश कर रहे है. इस घोषणा से उन नागरिकों के अधिकारों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जो नियम कानून मानकर चलते है. मुझे विश्वास है कि देश की आंतरिक स्थिति में शीघ्र ही सुधार आएगा और हम यथा शीघ्र इस आपातस्थिति को समाप्त करने में समर्थ होंगे.' (संदर्भ: स्वराज से लोकनायक, यशवंत सिन्हा द्वारा संपादित पुस्तक, अमृता शेखर का लेख पृष्ठ 236.)

प्रेस पर सेंसरशिप

भारत के संविधान में प्रेस की आजादी अनुच्छेद 19 (1) क में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का हिस्सा है. किंतु यह आत्यंतिक या निरपेक्ष नहीं है. अनुच्छेद 19(2) उन परिस्थितियों का जिक्र है जिसमें प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. इनमें

1. इन नियंत्रणों को संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बिना विस्तारित नहीं किया जा सकता.

2. संविधान के तहत प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई विशेष नियंत्रण तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक की वह नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं लगाया जाता.

3. प्रेस तथा सामान्य नागरिक अभिव्यक्ति की उन सीमाओं से अच्छी तरह अवगत है जहां कि उन्हें बाधित किया जा सकता है. न्यायालय को भी इन नियंत्रणों का विस्तार करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है.

(संदर्भ: प्रेस और संविधान, भारत में प्रेस कानून और पत्रकारिता पृष्ठ 24 व पृष्ठ 25)

आपातकाल और पत्रकारिता

'देश व समाचार पत्रों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है 25 जून 1975 की मध्य रात्रि घोषित किया गया आपातकाल. सेंसरशिप के कड़े प्रतिबंधों और भय के वातावरण के कारण अनेक पत्र-पत्रिकाओं को अपने प्रकाशन बंद करने पड़े. इनमें सेमिनार और ओपिनियन के नाम उल्लेखनीय हैं. आपातकाल के दौरान 3801 समाचार-पत्रों के डिक्लेरेशन जब्त कर लिए गए. 327 पत्रकारों को मीसा में बंद कर दिया गया. 290 अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए गए.विदेशी पत्रकारों को भी पीड़ित-प्रताड़ित किया गया. ब्रिटेन के टाइम और गार्जियन के समाचार-प्रतिनिधियों को भारत से निकाल दिया गया.रायटर सहित अन्य एजेंसियों के टेलेक्स और टेलीफोन काट दिए गए. आपातकाल के दौरान 51 पत्रकारों के अधिस्वीकरण रद्द कर दिए गए. इनमें 43 संवाददाता 2 कार्टूनिस्ट तथा 6 कैमरामैन थे. 7 विदेशी संवाददाताओं को भी देश से बाहर जाने को कहा गया ।

प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश डालने के लिए समाचार-समितियों का विलय किया गया.आपातकाल के पूर्व देश में चार समाचार-समितियां थीं पी.टी.आई., यू.एन.आई., हिंदुस्थान समाचार और समाचार भारती जिन्हें मिलाकर एक समिति समाचार का गठन किया गया था जिससे यह पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में रहे.आपातकाल के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर से जनता का विश्वास उठ चुका था.

आपातकाल लागू होने से पूर्व अर्थात वर्ष 1972 से आपातकाल लागू होने तक देश में कई बड़ी राजनीतिक घटनाएं एक साथ हो रही थी. देश के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इन घटनाओं का प्रमुखता से प्रकाशन हो रहा था. साथ ही आर्थिक मामलों से जुड़े मुद्दों का प्रकाशन हो रहा था. भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया जा रहा था. 'समाचार पत्रों में सरकार की नीतियों व फैसलों को लेकर आलोचनाएं हो रही थी. खासकर देश के प्रमुख समाचार पत्रों में' (संदर्भ: दी इंडियन मास मीडिया सिस्टम: बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी नेशनल इमरमेंसी, इंदू बी.सिंह का शोधपत्र, रतजर्स युनिवर्सिटी). आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रखर भूमिका अपनाई. हालांकि कुछ ऐसे अखबार थे जो सरकार के समर्थन में भी थे. साथ ही संपादकों का एक समूह ने दिल्ली के 47 संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों में अपनी आस्था व्यक्त की, जिसमें समाचार-पत्रों पर लगाया गया सेंसर भी शामिल है. सेंसरशिप के कारण दिनमान एकपक्षीय खबर छापने को बाध्य हुई. दिनमान ने सेंसरशिप लगाए जाने का विरोध नहीं किया था.

सबसे अधिक तादाद उन समाचार पत्रों की थी जो सरकार के फैसले के खिलाफ थे. 'सेंसरशिप लागू होने से समाचार पत्रों के क्षेत्र में भारी असंतोष निर्माण हो गया. कारण प्रतिबंध जाचक थे. लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र मर्यादा तय कर नहीं की गई थी. जिससे उसका पालन करना समाचार पत्रों के लिए कठिन हो गया था. कई वजहों से 20 सितंबर 1975 को एक परिपत्र के जरिए उसे सिल करने का आदेश जारी किया गया. इस परिपत्र के मुताबिक संपादक पर कई तरह की जिम्मेदारियां दी गई थी.' (संदर्भ: मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास, रा.क लेले, पृष्ठ 256.)

सेंसरशिप के तीसरे दिन समाचार पत्रों को बिजली दी गई. सेंसर ने पूरा नियंत्रण लागू कर दिया था और तीन दिनों तक न छपने के बाद अखबार फिर निकले थे. कुछ अखबारों ने संपादकीय कालमों को खाली छोड़ दिया था. कुछ ने सेंसर द्वारा काटे गए हिस्सों पर चिप्पियों चिपकाकर खबरों को छापा था. संपादकों ने टैगौर की कविताओं को फिर से याद किया था. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने संपादकीय कालम में टैगोर की प्रसिद्ध रचना 'जहां मन भय रहित हो, और सिर ऊंचा उठा रहे,.....' को प्रकाशित किया था. मेनस्ट्रीम के निखिल

चक्रवर्ती ने अपने संपादकीय लेख के स्थान पर टैगोर की एक अन्य कविता को 'आज के टैगोर शीर्षक देकर छापारू हे मेरी मातृभूमि भय से मुक्ति ही वह स्वंतंत्रता है जिसकी मांग मैं तुम्हारे लिए करता हूं- भय जो ऐसा छाया दैत्य है, जिससे तुम्हारे अपने अपरूप सपनों ने रूप दिया है.....' (संदर्भ: इंदिरा गांधी का पतन इमरजेंसी की लोमहर्षक कहानी, लेखक डी.आर मानकेकर व कमला मानकेकर, अनुवाद वीरेंद्र कुमार गुप्त, पृष्ठ 112).

पूना के तीन साप्ताहिकों मानुष, साधना, मोहबत ने सरकार के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी. इसी तरह अन्य आवधिक पत्रिकाएं रहीं जो इन त्रासजनक उन्नीस महिनों के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ती हुई अंत को प्राप्त हुई और जिनके नाम अभी भी प्रतिष्ठा सूची में अंकित किए जाने है. (संदर्भ: इंदिरा गांधी का पतन इमरजेंसी की लोमहर्षक कहानी, लेखक डी.आर मानकेकर व कमला मानकेकर, अनुवाद वीरेंद्र कुमार गुप्त, पृष्ठ 88).

आपातकाल और हिंदी पत्रकारिता

25 जून 1975 में आपातकाल तथा प्रेस सेंसर लागू हुआ तो उसके समर्थन में डी.आर. गोयल का लेख हिंदी के प्राय सभी दैनिकों में छपा जिसका कुछ अंश इस तरह है: 'यह कदम इसलिए उठाया गया है कि समाचार पत्रों में बढ़ती हुई गैर जिम्मेदारी प्रवृत्ति को रोका जा सके. सेंसर द्वारा प्रेस को हमेशा अनुशासित करना न तो संभव है और न ही अच्छा समझा जाता है. अनुशासन सामान्य विधान से ही बने तो अच्छा समझा जाता है.' (हिंदी पत्रकारिता का बृहद् इतिहास, अर्जुन तिवारी, सप्तम अध्याय: वर्तमान काल 1975 ई से... पृष्ठ 380). 'राजस्थान पत्रिका' ने इंदिरा गांधी को पराजित करने वाले जनता पार्टी के नेता राजनारायण को भारत के जिमी कार्टर की संज्ञा दी थी. यह हिंदी के क्षेत्रीय समाचार पत्रों के आक्रमक राजनीतिक रुख की ओर संकेत करता है. क्षेत्रीय पत्रों में राजस्थान पत्रिका, नई दुनिया, नवभारत आर्यावत, अमर उजाला, जागरण एंव आज की प्रसार संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई था. उदाहरण के लिए जनवरी 1977 में राजस्थान पत्रिका की प्रसार संख्या 55 हजार थी, जो दो माह बाद 70 हजार हो गई. वर्ष 1978 में यह बढ़कर 80 हजार हो गई. समाचार पत्रों ने 1977 के चुनाव में जमकर जनता पार्टी का साथ दिया. (संदर्भ: राजनीतिक पत्रकारिता, लेखक राकेश सिन्हा, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, 118)

समाचार पत्रों में अधिनायकवाद से लड़ने का दम नहीं था तो कम से कम लोकतंत्र के स्थापित होने के संवैधानिक अवसर में अपनी भूमिका अदा करने में वे समाचार पत्र भी नहीं चुके जो आपातकाल में रेंग रहे थे और सरकार की चाकरी में लगे थे. राजस्थान पत्रिका तो उन समाचार पत्रों में थी जिन्होंने शुरू से ही लोकतांत्रिक संघर्ष में अपना योगदान दिया. अपनी परंपरा के अनुसार ही इसके संपादक कुलीश ने पहले दिन के मतदान के बाद हस्ताक्षरित आलेख था 'राजस्थान में आखिर कांग्रेस जीतेगी कहां से?.'(संदर्भ: राजनीतिक पत्रकारिता, लेखक राकेश सिन्हा, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ 130) 21 मार्च 1977 को इस समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर कुलीश ने संपादकीय में इंदिरा परास्त में लिखा था 'इन चुनावों ने सिद्ध कर दिया है कि छल, छद्म, दंभ, निरंकुशता, स्वेच्छाचार, दमन, पशुबल एवं लोकतंत्र एक साथ नहीं रह सकते. इन चुनावों ने सिद्ध कर दिया कि जन विराट् जब हुंकार कर उठता है तो एकच्छत्र शासन हठात् उलट जाते है. ' (संदर्भ: राजनीतिक पत्रकारिता, लेखक राकेश सिन्हा, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ 131).

आपताकाल में संघ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी. यह संगठन प्रतिबंधित था तथा इससे जुड़े सभी पत्र पत्रिकाओं मदरलैंड, पाञ्चजन्य, आर्गनाइजर, तरुण भारत, स्वदेश, साधना, स्वस्तिका, विक्रम, राष्ट्रधर्म, युगधर्म को सरकार ने सेंसरशिप के तहत बंद कर दिया. (संदर्भ: राजनीतिक पत्रकारिता, लेखक राकेश सिन्हा, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ 131). प्रो. अरुण भगत कहते है कि ' आपातकाल के दौरान हिंदी के समाचार पत्रों में कुछ ने आपातकाल का समर्थन किया तो कुछ ने इसका विरोध किया. यह ठीक है कि उस समय सेंसरशिप के कारण आपातकाल के विरोध में बहुत कुछ लिखना संभव नहीं था, फिर भी कुछ समाचार पत्रों ने जोखिम उठाकर भी आपातकाल का अपने-अपने तरीके से यथासंभव विरोध किया. (संदर्भ: काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 34) संत समीर अपनी रिपोर्ट में लिखते है कि 'युगधर्म ने इमरजेंसी पर स्पेशल बुलेटिन निकाला. 27 जून के अंक में युगधर्म ने मास्ट हेड के ऊपर शीर्षक दिया - राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा. आठ कालम का बैनर लगा था - जेपी, मोराजी, अटलजी, चरणसिंह, गिरफ्तार. विभिन्न दिग्गजों के चित्र के साथ

अखबार पर सेंसर लागू, आंतरिक उपद्रवों का खतरा, पूंजीवादी इंदिरा जी के साथ, शीर्षक से खबर छपी थी. लगभग संपूर्ण पृष्ठ आपातकाल के भयावह दिन की खबरों पर आधारित थे. (संदर्भ: काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 33)

पंजाब केसरी समूह के प्रधान संपादक विजय कुमार चोपड़ा का मानना है कि 'आपातकाल में पत्रकारिता हो ही कहां रही थी! ळम लोग परेशान हो गए थे. बौद्धिक ज्ञान के कोरे होने के कारण सेंसर अधिकारी समाचारों को बिना सोचे-विचारे काट देते थे या रद्द कर देते थे. परिणाम स्वरूप समाचारों की कमी की क्षतिपूर्ति करने के लिए तब हमलोगों ने अपने समाचार पत्रों में अधिकाधिक फीचर छापने शुरू कर दिए थे. इसी तरह स्वदेश का पहले दिन का प्रकाश नही जब्त कर लिया गया था. (संदर्भ: काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 33) आपातकाल प्रभावी होने के बाद दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, नई दुनिया सहित कई पत्र-पत्रिकाओं ने अपना संपादकीय पन्ना खाली छोड़ दिया था. हिन्दुस्तान का तो 27 जून का अंक प्रकाशित ही नहीं हो सकता. 28 जून 1975 का अंक जब आया तो अधिकांश खबरें आपातकाल के समर्थन में थी. (संदर्भ: काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 32) प्रो. अरूण कुमार भगत अपनी पुस्तक में कहते है कि 'दैनिक जागरण में पूर्णचंद्र गुप्त ने संपादकीय स्तंभ में .... नया लोकतंत्र.... कृप्या शांत रहे लिखकर पूरा स्थान रिक्त छोड़कर दैनिक जागरण का प्रकाशन कर दिया. सरकारी तंत्र को यह रास नहीं आया. सरकार ने पूर्णचंद्र गुप्त और उनके तीनों पुत्रों की गिरफ्तारी का आदेश दिया. (संदर्भ: काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 31 व 32) नभारत टाइम्स की भी आपातकाल के दौरान अच्छी भूमिका नहीं रही है. (संदर्भ: काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 32) आपातकाल में 1964 से शुरू हुई साप्ताहिक पत्रिका हिम्मत के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता.

(संदर्भ: काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 14) आपातकाल के दौरान हरियाणा के छह विभिन्न केंद्रों में साइक्लोस्टाइल मशीनें स्थापित की गई. 7 नवंबर 1975 को 'दर्पण' नाम का पत्र प्रकाशित किया गया. यह पत्र हरियाणा में तत्कालीन शासन, पुलिस सीआईडी को अंगूठा दिखाता हुआ तथा उसे झूठे प्रचार का पर्दाफाश करता हुआ सत्य का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण के रुप में अस्तित्व में आया. (संदर्भ: कैसे भूलें आपातकाल का दंश शुभ्रज्योत्स्ना, आपातकाल (26 जून 1975 से 21 मार्च 1977) के अंधेरे के खिलाफ संघर्ष गाथा, पृष्ठ 14) आपातकाल के विरोध स्वरूप 'सरिता' में 6 माह तक कोई संपादकीय कालम नहीं छपा. 'सारिका ने जुलाई 1975 के अंक में संपादकीय सेंसर अधिकारी द्वारा काला किए गए वाक्यों और शब्दों सहित हूबहू प्रकाशित कर दिया. इस अंक में 27-28 संख्या के पृष्ठ लगभग पूरी तरह से काले थे. (संदर्भ: आपातकाल में मीडिया की भूमिका का अध्ययन, योगेन्द्र सिंह शोध छात्र, राजनीतिक विज्ञान विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-5*January-2017) आपातकाल के दौरान भूमिगत पत्रकारिता का बड़ा प्रभाव पड़ा. संपूर्ण क्रांति के समर्थक पत्रकारों ने भूमिगत पत्रकारिता को जीवतं बनाए रखा. उन लोगों की भूमिका सराहनीय रही. पुलिस-प्रशासन की नजर से बचने के लिए ये लोग नाम बदलकर काम किया करते थे. इन लोगों का भूमिगत तंत्र इतना सफल था कि सरकारी खुफिया तंत्र को पता ही नहीं चल पाता था कि भूमिगत पत्रिकाएं कहां से छपती है और किस तरह वितरित होती है. (संदर्भ: मंथन, जनवरी-मार्च 2021, आपातकाल की पत्रकारिता, प्रो. अरुण कुमार भगत, पृष्ठ 52) प्रतिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र के अनुसार आपातकाल के दौरान बौद्धिक जनजागरण में गोपनीय ढंग से निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित अनेक प्रांतों से निकलने वाली पत्रिकाओं को प्रचंड जन समर्थन मिल रहा था. क्योंकि उन दिनों सत्य सूचनाओं के वही स्त्रोत थे. (संदर्भ: मंथन, जनवरी-मार्च 2021, आपातकाल की पत्रकारिता, प्रो. अरुण कुमार भगत, पृष्ठ 53) दिनमान के वरिष्ठ संवाददाता रहे रामसेवक श्रीवास्तव ने बताया कि आपातकाल के दौरान पत्र-पत्रिकाओं का गुपचुप प्रकाशन खतरों से भरा था. उसके लिए बहुत ही साहस की आवश्यकता थी, क्योंकि 'मीसा' जिसे हम असुर कानून कहते थे, प्रभावी था. (संदर्भ: मंथन, जनवरी-मार्च 2021, आपातकाल की पत्रकारिता, प्रो. अरुण कुमार भगत, पृष्ठ 54)

निष्कर्ष

पत्रकारिता क्षेत्र के लिए 25 जून 1975 को लागू आपातकाल महत्वपूर्ण कालखंड है. इस कालखंड में देश के अंग्रेजी और अन्य भाषाई अखबारों के साथ ही हिंदी के पत्र-पत्रिकाओं और पत्रकारों ने प्रखर भूमिका निभाई. पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांत का अनुपालन करते हुए सेंसरशिप व 'मीसा' जैसे कड़े कानूनों के होते हुए भी समाज को सूचनाएं प्रदान की. कुछ अखबारों ने भले ही आपातकाल का समर्थन करने की जानकारी शोध अध्ययन के दौरान सामने आई. लेकिन समर्थन करने के पीछे मुख्य कारण यह सामने आया कि उस समय अखबारों-पत्रिकाओं की आय का प्रमुख स्त्रोंत सरकार की ओर से मिलने वाला विज्ञापन था. सरकार ने आपातकाल व सरकार के खिलाफ विरोधी खबरें व जानकारी प्रकाशित करने वाले अखबार व पत्रिकाओं को खिलाफ विज्ञापन नहीं देने की नीति अपनाई थी. साथ ही अखबारी कागज को लेकर भी कई तरह के संकट झेलने पड़ रहे थे. इसका प्रतिकुल प्रभाव अखबार या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार अन्य कर्मियों पर नहीं हो इस उद्देश्य से उन्होंने आपातकाल की खबरों से मुंह मोड लिया. आपातकाल के दौरान भूमिगत पत्रकारिता व भूमिगत संचार व्यवस्था का सक्रिय होने की जानकारी शोध अध्ययन के दौरान सामने आई. इसमें हिंदी पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारों का बड़ा योगदान होने का पता चला है. आपातकाल के दौरान हिंदी पत्रकारिता पर अपने पाठकों को सच्ची व विश्वसीनय सूचना देने की बड़ी जिम्मेदारी थी. इस जिम्मेदारी का उन्होंने पूरी ईमानदारी से पालन किया.

संदर्भ सूची

1. इंदिरा गांधी का भारतीय राजनीति में योगदान, लेखक डॉ. धीरेंद्र कुमार तिवारी, दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स, पृष्ठ 62
2. स्वराज से लोकनायक, चतुर्थ खंड लोकनायक से महाप्रयाण तक, यशवंत सिन्हा द्वारा संपादित, पृष्ठ 217
3. भारत: पं. जवाहर लाल नेहरू से मनमोहन सिंह तक, गीता शर्मा. वंदना पब्लिकेशन नई दिल्ली, पृष्ठ 19
4. इंदिरा गांधी: व्यक्ति और विचार, लेखक डॉ. लालबहादुर सिंह चैहान, सुयोग प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 92
5. इंदिरा गांधी: व्यक्ति और विचार, लेखक डॉ. लालबहादुर सिंह चैहान, सुयोग प्रकाशन, नई दिल्ली, 93
6. स्वराज से लोकनायक, यशवंत सिन्हा द्वारा संपादित पुस्तक, अमृता शेखर का लेख पृष्ठ 236
7. प्रेस और संविधान, भारत में प्रेस कानून और पत्रकारिता पृष्ठ 24 व पृष्ठ 25
8. पत्रकारिता के उत्तर आधुनिक चरण, कृपाशंकर चैबे, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ 65 व 66
9. दी इंडियन मास मीडिया सिस्टम: बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी नेशनल इमरमेंसी, इंदू बी.सिंह का शोधपत्र, रतजर्स युनिवर्सिटी
10. मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास, रा.क लेले, पृष्ठ 256
11. इंदिरा गांधी का पतन इमरजेंसी की लोमहर्षक कहानी, लेखक डी.आर मानकेकर व कमला मानकेकर, अनुवाद वीरेंद्र कुमार गुप्त, पृष्ठ 112
12. इंदिरा गांधी का पतन इमरजेंसी की लोमहर्षक कहानी, लेखक डी.आर मानकेकर व कमला मानकेकर, अनुवाद वीरेंद्र कुमार गुप्त, पृष्ठ 88
13. हिंदी पत्रकारिता का बृहद् इतिहास, अर्जुन तिवारी, सप्तम अध्याय रू वर्तमान काल 1975 ई से... पृष्ठ 380
14. राजनीतिक पत्रकारिता, लेखक राकेश सिन्हा, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ 118
15. राजनीतिक पत्रकारिता, लेखक राकेश सिन्हा, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ 130
16. राजनीतिक पत्रकारिता, लेखक राकेश सिन्हा, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ 131
17. काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 14
18. काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 31
19. काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 32

20. काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 33
21. काले दिन के कारे कागद, राहुल कुमार पृष्ठ 34
22. कैसे भूलें आपातकाल का दंश शुभ्रज्योत्स्ना, आपातकाल (26 जून 1975 से 21 मार्च 1977) के अंधेरे के खिलाफ संघर्ष गाथा, पृष्ठ 14
23. आपातकाल में मीडिया की भूमिका का अध्ययन, योगेन्द्र सिंह शोध छात्र, राजनीतिक विज्ञान विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-5*January-2017
24. मंथन, जनवरी-मार्च 2021, आपातकाल की पत्रकारिता, प्रो. अरुण कुमार भगत, पृष्ठ 52
25. मंथन, जनवरी-मार्च 2021, आपातकाल की पत्रकारिता, प्रो. अरुण कुमार भगत, पृष्ठ 53
26. मंथन, जनवरी-मार्च 2021, आपातकाल की पत्रकारिता, प्रो. अरुण कुमार भगत, पृष्ठ 54